आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Labour and Employment, Goa (Goa Building and Other Construction Workers' Welfare Board)

Pension (Goa Building and Other Construction Workers' Welfare Board)

गोवा निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के जिन सदस्यों ने भवन श्रमिक के रूप में काम किया है, वे साठ साल की उम्र से मासिक पेंशन पा सकते हैं।

क्या मिल सकता है

सदस्य के साठ साल पूरे करने के अगले महीने से बोर्ड मासिक पेंशन देता है। पांच साल से ऊपर की हर पूरी सेवा-वर्ष पर पेंशन बढ़ती है। रकम नीचे पुराने नियमों में दी गई है।

किसके लिए है

गोवा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के वे सदस्य जिन्होंने साठ साल की उम्र पूरी कर ली है।

मुख्य शर्तें

- सदस्य ने नियम लागू होने के बाद कम से कम एक साल भवन श्रमिक के रूप में काम किया हो।
- सदस्य की उम्र साठ साल पूरी हो चुकी हो।
- आवेदन खारिज होने पर आवेदक साठ दिन के भीतर बोर्ड में अपील कर सकता है।

दस्तावेज़

- पहचान पत्र
- पासबुक
- चालान (अंशदान की भुगतान रसीदें)

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड से फॉर्म नंबर XXXV (पेंशन का आवेदन) लें।
2. उसे भरें और पहचान पत्र, पासबुक और चालान लगाएं।
3. उसे बोर्ड के सचिव या उनके अधिकृत अधिकारी के पास जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://labour.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/07/Scheme-11-Pension-Benefit.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/goa/goa-bocw-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।